

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आजा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1637 /2019 दिनांक 17.08.2019

श्री सुकेश कुमार जैन (RJ0343), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, झुंझुनूं को दिनांक 24.07.2019 से 26.07.2019 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 27.07.2019 से 28.07.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री जैन की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, झुंझुनूं ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, झुंझुनूं के पद पर ही की गई ।

आजा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/48/2000/ 7622

दिनांक : 17.08.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, झुंझुनूं को उनके पत्रांक 60 दिनांक 29.07.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री सुकेश कुमार जैन (RJ0343), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, झुंझुनूं ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, झुंझुनूं ।


17.8.2019
सहायक रजिस्ट्रार